

12.12.2025.

Ad. P.P. उप.) मुलजिमान लगी अनु. जि. की
कम. स. प्राप्ती अर्धे अधिवक्ता पेश हुई,
जो आज से स्वीकार की जाती है।
गवाहान उप. नहीं है, जिसे B1w
कडम नामील मोवाइल से अवगत करावमे
जाने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई
है, जबकि गवाहान पुलिठ करी है।
रिपोर्ट के अनुलोफन से यह प्रगट
होगा है कि B1w को नामील करावमे
जाने के कोई प्रयास भी नहीं किये गये
है। अतः इस बाबत S.H.O., P.S. कोतवाली
से स्पष्टीकरण तलब किया जावे।
उक्त गवाहान से. 13 व 16 को अनु.
B1w से तलब किया जावे।
पत्रावली वास्ते साक्ष्य अधि.
दि. 23.12.2025 को पेश ले।

प्रमोद कुमार शर्मा

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-
बारी (सज.)